राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/14 से 3/16

भाग—एक

1 **प्रारम्भिकः—**

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में कार्यरत्त प्राचार्य एवं आहरण व वितरण अधिकारी की कार्य अवधि का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	प्राचार्य का नाम	कार्यकाल अवधि
1	श्री सतीश चन्द्र शर्मा	1.4.2014 से 14.6.2014
2	डा0 अशोक अवस्थी	16.6.2014 से 21.5.2015
3	डा0 राकेश भारद्वाज	1.6.2015 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के अवधि 4/2014 से 3/2016 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि (लाखों में)
1	5 (ख)	महाविद्यालय द्वारा करवाई गई निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज राशि में से बैंक द्वारा काटे गये टी0डी0एस0 राशि की वसूली बारे	1.34
2	6	विलम्ब प्रवेश शुल्क के रूप में वसूली न करने बारे	0.32
3	7	छात्रावासों के विद्यार्थियो से प्रवेश शुल्क व किराये के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करने बारे	0.27
4	8	प्रवेश फार्मों की बिक्री से सम्बन्धित प्राप्ति योग्य राशि से सम्बन्धित अभिलेख के सन्दर्भ में	0.26
5	9	फीस के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करने बारे	0.25
6	10	छात्रावासों में विद्यार्थियों से किराये के रूप में कम वसूली	0.23
7	14	दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी को समिश्रित निधि से अनियमित भुगतान	0.62
8	15	समिश्रित निधि से बिजली के बिलों, दूरभाष बिलो व अन्य उद्देश्यों हेतु अग्रिम राशियों का समायोजन बारे	4.31
9	16 (क)	छात्रावासों के बिजली बिलो पर प्राप्ति से अधिक भुगतान बारे	1.25
10	18	पत्रिका निधि से जारी की गई पत्रिकाओं की वसूली बारे	0.42

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः महाविद्यालय द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। गत प्रतिवेदनों के पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के अवधि 4/2014 से 3/2016 के निधि लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, श्री चम्बेल सिंह परमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री पुनीत शर्मा, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनाँक 6.12.2016 से 29.12.2016 के दौरान बिलासपुर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 6/2014 व 6/2015 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 9/2014 व 11/2015 का चयन किया गया।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के अवधि 4/2014 से 3/2016 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹16000 बनता है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला–171009 को भेजने के लिए सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या 135 दिनाँक 26.12.2016 द्वारा प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर से अनुरोध किया गया। महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिलासपुर से बैंक ड्राफ्ट संख्या 949518 दिनाँक 28.12.16 द्वारा भेज दी गई है।

4 (क) वित्तीय स्थितिः–

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालय के अवधि 4/2014 से 3/2016 के विभिन्न निधि लेखों की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट (ख)** में दी गई है।

(ख) महाविद्यालय द्वारा **परिशिष्ट "ग"** में वर्णित विभिन्न निधियों से सम्बन्धित सावधि जमा योजना में निवेशित ₹17592050/– को वित्तीय स्थिति के अन्तशेष में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति उठाई गई थी। अतः **परिशिष्ट "ख"** के अनुसार वित्तीय स्थिति में विभिन्न निधियों से सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों को सम्मिलित न करने तथा इन सावधि योजना में वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान अर्जित ब्याज की राशियों को विभिन्न निधियों में सम्मिलित न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इन प्रकरणों में अपेक्षित कार्रवाई करने के अतिरिक्त भविष्य में भी सावधि जमा में निवेशित राशियों व उससे अर्जित ब्याज को विभिन्न निधियों की वित्तीय स्थिति में भी सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जाए।

5 (क) सावधि निवेशः–

राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के अवधि 4/2014 से 3/2016 तक विभिन्न लेखों से सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का विवरण निम्नलिखित है विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर भी दिया गया है।

क्र0सं0	एफ0डी0 आर सं0	दिनांक	निवेशित राशि	अवधि	ब्याज %	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता राशि	प्राप्ति योग्य ब्याज	बैंक का नाम
1	1135529	4.9.15	174516	2 वर्ष	8%	4.9.17	204473	29957	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक
2	112/13	13.3.15	594804	2 वर्ष	8.75%	13.3.17	707223	112419	–यथोपरि–
3	741451	31.3.16	6979646	2 वर्ष	7.50%	31.3.18	8097937	1118291	पंजाब नैशनल बैंक
4	1320865	31.3.15	300000	17 माह	8.80%	31.8.16	339484	39484	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक
5	1320866	31.3.15	400000	17 माह	8.80%	31.8.16	452646	52646	–यथोपरि–
6	1320867	31.3.15	200000	17 माह	8.80%	31.8.16	226323	26323	–यथोपरि–
7	1320868	31.3.15	100000	17 माह	8.80%	31.8.16	113161	13161	–यथोपरि–
8	1320869	31.3.15	600000	17 माह	8.80%	31.8.16	678968	78968	–यथोपरि–
9	1320870	31.3.15	100000	17 माह	8.80%	31.8.16	113161	13161	–यथोपरि–
10	1320872	31.3.15	300000	17 माह	8.80%	31.8.16	339484	39484	–यथोपरि–

11	1320873	31.3.15	500000	17 माह	8.80%	31.8.16	565807	65807	—यथोपरि—
12	1320857	30.3.15	300000	17 माह	8.80%	30.8.16	339484	39484	—यथोपरि—
13	1320871	31.3.15	200000	17 माह	8.80%	31.8.16	226323	26323	—यथोपरि—
14	1320874	31.3.15	200000	17 माह	8.80%	31.8.16	226323	26323	—यथोपरि—
15	1320875	31.3.15	200000	17 माह	8.80%	31.8.16	226323	26323	—यथोपरि—
16	163441	15.5.15	815621	1 वर्ष	8.50%	15.5.16	887190	71569	पंजाब नैशनल बैंक
17	163442	15.5.15	5627463	1 वर्ष	8.50%	15.5.16	6121261	493798	—यथोपरि—
	कुल योग		**17592050**						

सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को बैंक से भुनाना/पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित करें।

(ख) राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज में से बैंक द्वारा स्त्रोत पर काटे गये टी0डी0एस ₹1.34 लाख की वसूली न करने बारेः—

राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के अवधि 4/2014 से 3/2016 तक के अंकेक्षण के दौरान सावधि जमा में निवेशित राशियों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार महाविद्यालय द्वारा विभिन्न बैकों में निवेशित की गई राशियों पर प्राप्त ब्याज में से बैंकों द्वारा स्त्रोत पर काटे गये टी0डी0एस0 की वसूली नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि सम्बन्धित बैंकों से इस सन्दर्भ में कार्रवाई करके टी0डी0एस0 राशि को वापिस प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

क्र0सं0	**दिनांक**	**एफ0डी0आर0 सं0**	**देय परिपक्वता राशि**	**प्राप्त राशि**	**स्त्रोत पर काटे गये कर की राशि**	**बैंक का नाम**
1	31.3.14	741451	5868394	5841533	26861	पंजाब नैशनल बैंक बिलासपुर
2	31.3.14	741452	759372	755896	3476	—यथोपरि—
3	4.4.14	32284852915	5202615	5113746	88869	भारतीय स्टेट बैंक बिलासपुर
4	31.3.14	32284852176	753225	738060	15165	—यथोपरि—
					₹134371	

6 विलम्ब प्रवेश शुल्क के रूप में ₹31680 की वसूली न करने बारेः–

महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2014–15 व 2015–16 के प्रविवरणों में वर्णित निर्देशों के अनुसार दिनांक 11 जून से 20 जून तक विद्यार्थियों का प्रवेश बिना विलम्ब शुल्क के एवं 21 जून से 30 जून तक प्रवेश विलम्ब शुल्क ₹10 प्रति विद्यार्थी की दर से एकत्र किया जाना था जबकि **परिशिष्ट "घ"** अनुसार वर्णित रसीदों की जाँच में पाया गया कि विद्यार्थियों को उक्त अवधि के पश्चात भी प्रवेश बिना विलम्ब शुल्क एकत्र करके दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि में संस्थान को ₹31680 की हानि हुई। कुछ मामलों को महाविद्यालय द्वारा रसीदों पर दिनांक दर्शाई ही नहीं गई तथा कुछ मामलों में छात्रों के प्रवेश फार्मों पर प्रवेश कमेटी द्वारा विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई परन्तु रसीदो पर दिनांक 20 जून दर्शाई गई। अतः विलम्ब शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खाते/राजकीय कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

7 छात्रवासों के विद्यार्थियों से प्राप्त प्रवेश शुल्क व कमरे के किराये के रूप में ₹27600 को सरकारी कोष में जमा न करनाः–

राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के अवधि 4/2014 से 3/2016 तक लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा होस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों से ₹200 प्रति छात्र वार्षिक प्रवेश शुल्क व कमरे के किराये के रूप में प्राप्त किये गये थे परन्तु निम्न विवरणानुसार महाविद्यालय द्वारा सरकारी प्राप्ति ₹27600 को सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया। अतः विद्यार्थियो से प्राप्त किराये के रूप में सरकारी प्राप्ति को सरकारी कोष में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा राशि को सरकारी कोष में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

क्र0सं0	वर्ष	प्रवेश छात्र सं0	कुल प्राप्त राशि
I छात्र छात्रावास (Boys Hostel)			
1	2014–15	26	5200
2	2015–16	19	3800
		योग	**₹9000**
II छात्र छात्रावास (Girls Hostel)			
1	2014–15	48	9600
2	2015–16	45	9000
		योग	₹18600
		कुल योग	**₹27600**

8 प्रवेश फार्मों की बिक्री ₹26500 से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना:–

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मिश्रित निधि से निम्न विवरणानुसार मै0 शिवा प्रिंटर्ज बिलासपुर से प्रवेंश फार्म क्रय किए गए थे।

क्र0सं0	वा0सं0/दि0	फर्म बिल सं0/दि0	मात्रा	दर प्रति फार्म	राशि
1	39/2.7.14	186/11.6.14	650	2.50	1625
2	40/2.7.14	187/11.6.14	2000	2.50	5000
		जोंड़	**2650**		**6625**

प्रवेश फार्म की बिक्री ₹10 प्रति फार्म की दर से की जा रही थी जिसके अनुसार उपरोक्त क्रय किए गये फार्म की बिक्री से ₹26500 (2650X10) की राशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त फार्मों की बिक्री एवं बिक्री से प्राप्त राशि के जमा के सम्बन्ध में अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त फार्मों की बिक्री से प्राप्त ₹26500 के जमा के सम्बन्ध में अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 निधि संग्रह रजिस्टर में एकत्रित फीस की राशि में से सरकारी कोष में ₹25447/– कम जमा करवाना:–

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के अवधि 4/2014 से 3/2016 के निधि संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार फीस की राशियों को सरकारी कोष में कम जमा करवाया गया। अतः महाविद्यालय द्वारा छात्रों से वसूल की गई फीस की ₹25447 को सरकारी कोष में जमा न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उक्त राशि को तुरन्त सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	दिनाँक	रसीद संख्या/ अवधि	फीस का नाम/प्राप्त राशि	सरकारी कोष में जमा राशि	कम जमा राशि
1	18.6.14	001 से 250	Ad. fees/6100+L.ad.fees/55+T.fees /14700=20855	20800	55
2	21.6.14	251 से 853	Ad. fees/14950+L.ad.fees/470+T.fees/61800=77220	77070	150
3	1.8.14	2193 से 2211	Ad. fees/375+L.ad.fees/- +T.fees/2400=2775	–	2775
4	23.8.14	2242 से 2258	Ad. fees/500+L.ad.fees- +T.fees/300=800	–	800
5	23.9.14	2259 से 2397	Ad. fees/575+L.ad.fees/1392+T.fees/300=2267	–	2267

6	24.6.14 से 5.7.14	1366 से 1423 1501 से 1833	Total Fees 106910	106610	300
7	19.11.14 से 24.11.14	1849 से 3015 3173 से 3642	Late fees 145+T.Fees 16800=16945	16500	445
8	26.11.14 से 18.12.14	3643 से 4489	T.Fees 3105	2400	705
9	31.12.14 से 3.1.15	5808 से 5879	Ad. fees/1800+L.ad.fees/3600+T.fees/6900=12300	—	12300
10	5.1.15 से 13.1.15	5880 से 5897	Ad. fees/450+L.ad.fees/700+T.fees/13900=5050	—	5050
11	8.4.15 से 22.4.15	6726 से 6733	Total fees 600	—	600
			कुल कम जमा राशि		**₹25447**

10 छात्रावासों (Hostels) में विद्यार्थियों से किराये के रूप में ₹23460/– की कम वसूली बारेः–

प्रधान सचिव (शिक्षा) हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या EDN-A-Kha (8) 1/2001 दिनांक 1.6.2010 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार होस्टल में रहने वाले छात्रों से ₹10 प्रवेश शुल्क व ₹30 प्रति माह कमरे का किराया वार्षिक कुल ₹370 प्रति छात्र प्राप्त की जानी थी। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि 4/2014 से 3/2016 के दौरान होस्टल में रहने वाले छात्रों से ₹200 वार्षिक ही प्राप्त किये गये थे जिसके कारण प्रति छात्र ₹170 कम प्राप्त किये गये थे। वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान होस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों से निम्नविवरणानुसार ₹23460 की कम वसूली की गई थी। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों से कम राशि की वसूली बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा कम वसूल की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**वर्ष**	**प्रवेश छात्र सं0**	**प्रति छात्र वार्षिक जितनी राशि प्राप्त की जानी थी**	**कुल प्राप्ति योग्य राशि**	**प्राप्त राशि**	**कम प्राप्त राशि**
I छात्र छात्रावास (Boys Hostel)						
1	2014–15	26	370	9620	5200	4420
2	2015–16	19	370	7030	3800	3230
				योग		**₹7650**
II छात्र छात्रावास (Girls Hostel)						
1	2014–15	48	370	17760	9600	8160
2	2015–16	45	370	16650	9000	7650
					योग	**₹15810**
				कुल योग		**₹23460**

11 ₹8984 एकत्रीकरण को निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज न कर संदिग्ध दुर्विनियोजनः—

राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के अवधि 4/2014 से 3/2016 के अंकेक्षण के दौरान आय से सम्बन्धित रसीदों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार रसीदों द्वारा छात्रों से वसूल की गई शुल्क की राशि को निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज न कर संदिग्ध दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। छात्रो से वसूल की गई शुल्क की राशि को निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में समुचित कार्यवाही अमल में लाते हुये इन रसीदों से प्राप्त राशियों को निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज करके अपेक्षित राशि को सम्बन्धित बैंक खातों में जमा करवाकर अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।

क्र0सं0	दिनांक	रसीद नं0	नाम	कक्षा	रो0नं0	राशि
1	24.6.14	1503	नैन्शी	BSC I Sem	BOT	375
2	24.6.14	1504	मधु नडडा	BSC I Sem	-	375
3	24.6.14	1505	शलिनी चन्देल	BSC I Sem	-	375
4	24.6.14	1513	राजेश कुमार	BSC I Sem	MAT 1003	2151
5	26.6.14	1630	अंकिता शर्मा	BSC I Sem	BOT 1520	1911
6	27.6.14	1710	रक्षा ठाकुर	BSC I Sem	-	1911
7	7.7.14	1589	साक्षी शर्मा	BSC III	23550	1886
					कुल योग	**₹8984**

12 महाविद्यालय द्वारा छात्रों से ₹1620 की कम वसूली बारेः—

राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के अवधि 4/2014 से 3/2016 तक के अंकेक्षण के दौरान छात्रों से वसूल की गई फीसों की रसीदों, निधि संग्रह रजिस्टर व प्रविवरण (Prospects) में दर्शाई गई फीसों की राशियों की जाँच पड़ताल में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार महाविद्यालय द्वारा छात्रों से ₹1620 राशि की कम वसूली गई। अतः ₹1620 राशि की कम वसूली बारे औचित्य स्पष्ट करें तथा उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

क्र0सं0	दिनांक	रसीद सं0	नाम	कक्षा	प्राप्त राशि	वसूली योग्य राशि	कम वसूल राशि	निधि/शुल्क जो प्राप्त नहीं किया गया
1	17.6.15	10071	शलिनी कुमारी	MAT 5045	1551	1791	240	जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान शुल्क
2	17.6.15	10289	अभिनव	MAT 5002	1851	2091	240	—यथोपरि—

3	17.6.15	10288	अजय शर्मा	MAT 5004	1851	2091	240	–यथोपरि–
4	18.6.15	10668	विनोद कुमार	MAT 5046	1791	2091	300	टयूशन फीस
5	23.6.15	13641	मनीष ठाकुर	Phy 1028	2091	2391	300	टयूशन फीस
6	23.6.15	13723	राकेश कुमार	BCM 3020	1311	1611	300	टयूशन फीस
						योग	**₹1620**	

13 गलत गणना के कारण विलम्ब प्रवेश शुल्क के रूप में ₹1420 की कम वसूली बारेः–

महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2014–15 व 2015–16 के प्रविवरणों में वर्णित प्रवेश निर्देशों के अनुसार दिनांक 11 जून से 20 जून तक विद्यार्थियों का प्रवेश बिना विलम्ब शुल्क के एवं 21 जून से 30 जून तक विलम्ब शुल्क ₹10 प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन की दर से वसूल करके दिया जाना था जबकि निम्न विवरणानुसार महाविद्यालय द्वारा गलत गणना के कारण विद्यार्थियों से ₹1420 की कम वसूली की गई। अंकेक्षण में चर्चा में बताया गया कि विलम्ब शुल्क की वसूली गलत गणना के कारण 1 जुलाई से की गई। अतः विलम्ब शुल्क की कम वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खाते राजकीय कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

क्र0सं0	**दिनांक**	**रसीद सं0**	**नाम**	**कक्षा**	**रसीद राशि**	**विलम्ब शुल्क राशि जो प्राप्त की गई**	**वास्तव में वसूली योग्य राशि**	**कम वसूल राशि**
1	11.9.14	2264	सृष्टि	BSC I Sem	2521	610	730	120
2	15.7.15	661	चंदन ठाकुर	B.A. IIIrd	1971	150	250	100
3	15.7.15	662	अनूप ठाकुर	B.A. IIIrd	1971	150	250	100
4	15.7.15	663	दिव्या ज्योति	B.A. IIIrd	1671	150	250	100
5	16.7.15	664	रोहित चन्देल	B.Com 5th Sem	–	160	260	100
6	16.7.15	667	सचिन चौधरी	B.A. IIIrd	1971	160	260	100
7	20.7.15	816	अंजली धीमान	BSC IIIrd	–	200	300	100
8	20.7.15	817	आकाश चन्देल	BSC IIIrd	–	200	300	100
9	20.7.15	821	पूजा कुमारी	B.A. IIIrd	1511	200	300	100
10	5.8.15	1013	ज्योति	B.A. IIIrd	1671	360	460	100
11	5.8.15	1030	अभिषेक	BSC 5th	1611	360	460	100
12	5.8.15	1035	शुभम शर्मा	BSC 3rd	2451	360	460	100

13	5.8.15	1065	अभिषेक	B.com IIIrd	2451	360	460	100
14	5.8.15	1066	विशाल धीमान	B.com IIIrd	2451	360	460	100
							योग	₹1420

14 श्रीमती गीता देवी दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी को समिश्रित निधि से ₹62670 का भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश अध्याय XLII के नियम 42.2 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार समिश्रित निधि से माली (Gardner) पुस्तकालय चपड़ासी (Libarory Peon) खेल चपड़ासी (Sports Peoon) की सेवाएं प्रभारित की जा सकती है, परन्तु महाविद्यालय द्वारा श्रीमती गीता देवी दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी को माह 4/2014 से माह 8/15 तक ₹62670 वेतन/मजदूरी का भुगतान समिश्रित निधि से किया गया जोकि इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः समिश्रित निधि से दैनिक भोगी कर्मचारी की मजदूरी के भुगतान पर व्यय का औचित्य स्पष्ट करें व व्यय ₹62670 को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये।

15 ₹4.31 लाख मिश्रित निधि से बिजली बिलों, दूरभाष बिलों एवं अन्य उद्देश्य हेतु अग्रिम भुगतान राशियों का समायोजन न करनाः–

लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान कार्यालय के बिजली बिलों, दूरभाष बिलों एवं अन्य उद्देश्य हेतु अग्रिम राशियाँ भुगतान की गई थी। इन अग्रिम राशियों से 31.3.2016 को ₹430570 की राशियां समायोजन हेतु शेष थी जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ"** पर दिया गया है। अग्रिम भुगतान राशियों को शीघ्र समायोजित किया जाए तथा कार्यालय के बिजली व दूरभाष बिलों के भुगतान हेतु अग्रिम भुगतान राशियों को मिश्रित निधि में जमा करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

16 छात्र छात्रावास एवं छात्राओं के छात्रावास निधि से किए गए व्यय का जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

(क) छात्रावासों की बिजली भुगतान पर प्राप्ति से अधिक किए गए ₹125347 के व्यय की वसूली न करनाः–

छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों से ₹100 प्रति विद्यार्थी प्रति माह बिजली प्रभार प्राप्त किया गया था जिससे छात्रा वासों के बिजली बिलों का भुगतान किया गया था। बिजली की खपत का अधिक व्यय होने पर अतिरिक्त व्यय की होस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों से प्रतिपूर्ति की जानी थी। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि छात्रावासों की बिजली पर छात्रों से प्राप्त बिजली प्रभार की राशि से अधिक व्यय हुआ था लेकिन अधिक बिजली व्यय की छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों से वसूली नहीं की गई थी छात्रावासों की बिजली पर अधिक व्यय की

सम्बन्धित विद्यार्थियों से वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त छात्रावासो की बिजली पर निम्न विवरणानुसार अधिक किए गए व्यय ₹125347 को उचित स्त्रोत से वसूली करके राशि होस्टल निधि में जमा की जाए।

(1) छात्र छात्रावास 2014–15

बिजली निधि प्राप्ति का विवरण				**बिजली व्यय का विवरण**			**प्राप्ति से अधिक व्यय**
अवधि	**छात्रों की सं0**	**प्रतिमाह बिजली निधि**	**कुल प्राप्त राशि**	**वा0सं0**	**दि0**	**राशि**	
6 माह	26	100	15600	–	25.4.14	3980	
6 माह	21	100	12600	6/2014	27.6.14	16006	
				10/2014	25.7.14	3980	
				26/2014	27.8.14	3980	
				31/2014	23.9.14	3982	
				36/2014	18.10.14	3978	
				37/2014	21.11.14	3978	
				40/2014	22.12.14	3978	
				43/2014	27.1.15	3984	
				44/2014	25.2.15	3980	
				48/2014	24.3.15	3980	
		जोड़	**28200**			**55806**	**27606**
(2) छात्र छात्रावास 2015–16							
12 माह	19	100	22800	8/2015	17.6.15	14721	
				20/2015	30.7.15	4790	
				32/2015	29.8.15	4790	
				34/2015	28.10.15	10261	
				42/2015	27.11.15	15542	
				45/2015	20.2.16	4982	
				2/2016	28.3.16	5081	
		जोड़	**22800**			**60167**	**37367**
(3) छात्र छात्रावास 2015–16							
6 माह	45	100	27000	6/2015	25.3.15	36246	
6 माह	43	100	25800	35/2015	29.8.15	26291	
				39/2015	29.10.15	23815	
				58/2016	26.3.16	26828	
		जोड	**52800**			**113180**	**60380**
		कुल अधिक व्यय ₹27600+₹37367+₹60380					**₹125347**

(ख) छात्राओं के छात्रावास के बिजली व्यय से सम्बन्धित वर्ष 2014–15 का विवरण तैयार नहीं था क्योंकि इस अवधि की रोकड़ बही नहीं लिखी गई थी। अतः छात्राओं के छात्रावास के वर्ष 2014–15 के बिजली व्यय व प्राप्त निधि का विवरण तैयार करके अधिक व्यय राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

(ग) छात्राओं के छात्रावास से सम्बन्धित रोकड़ बही को तैयार न करनाः–

छात्राओं के छात्रावास से सम्बन्धित रोकड़ बही को तैयार नहीं किया गया था। रोकड़ बही को तैयार न करना एक गम्भीर अनियमितता है। रोकड़ बही न होने के कारण छात्रावासों में विद्यार्थियों से प्राप्त राशियों एवं व्यय की गई राशियों की अंकेक्षण के दौरान जाँच नहीं की जा सकी। अतः छात्राओं के छात्रावास की पूर्व अवधि दिनांक 31.3.2016 तक की रोकड़ बही को अभिलेखों के अनुसार तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 पुस्तकालय प्रतिभूतिः–

पुस्तकालय प्रतिभूति की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

(1) पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर को तैयार न करनाः–

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में विद्यार्थियों से प्राप्त की जा रही पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर को तैयार नहीं किया गया था। पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर को तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर को तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) पुस्तकालय प्रतिभूति से ₹193808 का अनाधिकृत व्ययः–

पुस्तकालय प्रतिभूति विद्यार्थियों से प्रवेश के समय प्राप्त की जाती है तथा विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय छोडने पर उन्हें वापिस की जानी अपेक्षित है। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रतिभूति से अनाधिकृत रूप से निम्न व्यय किया गया था।

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	राशि	क्रय की गई सामग्री का विवरण
1	1/14	20.5.14	2500	कम्पयूटर रिपेयर
2	2/14	10.12.14	595	कहलूर की कहानी किताब
3	1/15	30.10.15	90720	42 स्टील फ्रेम चेयर
			70350	35 स्टील फ्रेम चेयर
			8054	वैट
			169124	
4	2/15	30.10.15	5093	स्टील टेबल
5	3/15	21.11.15	14026	लाईब्रेरी बुक्स
6	4/15	1.12.15	595	लाईब्रेरी बुक्स
7	5/15	29.12.15	1875	लाईब्रेरी बुक्स
		कुल राशि	**193808**	

लाईब्रेरी प्रतिभूति से उक्त व्यय ₹193808 बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अनियमित रूप से किए गये व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि पुस्तकालय प्रतिभूति निधि में जमा करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 ₹0.43 लाख की वसूली न करनाः—

पत्रिका निधि से वर्ष 2014—15 व 2015—16 के दौरान मुद्रित की गई पत्रिकाओं हेतु निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया थाः—

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	मात्रा (नं0)	दर	राशि	फर्म का नाम
1	1/14	18.6.14	2000	49 प्रति	98000	मै0 शिवा प्रिटर्ज बिलासपुर
2	1/15	6.7.15	2000	48.45 प्रति	96900	मै0 शिवा प्रिटर्ज बिलासपुर

उपरोक्त मुद्रित पत्रिकाओं की प्राप्ति एवं वितरण का विवरण लाईब्रेरी पत्रिका स्टॉक रजिस्टर में दिया गया था। जिसके अनुसार बी0सी0ए0, बी0टी0ए0, बायोटैक व पी0जी0डी0सी0ए0 के विद्यार्थियों को निम्न विवरणानुसार पत्रिकायें जारी की गई थी। चूकिं उपरोक्त विद्यार्थी स्वः वित्तीय स्कीम के अन्तर्गत महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते है। अतः ₹42500 की राशि स्वः वित्तीय स्कीम से वसूल कर पत्रिका निधि में हस्तांतरित की जाए।

क्र0सं0	पत्रिका प्राप्ति की तिथि	पत्रिका स्टॉक रजिस्टर पृ0सं0	सत्र	विद्यार्थियों की सं0/जारी पत्रिकाऐं	प्रापित योग्य पत्रिका निधि प्रति विद्यार्थी	प्राप्ति योग्य राशि
1	17.5.14	27	2013—14	400	50	20000
2	30.6.15	29	2014—15	450	50	22500
					कुल	**₹42500**

19 ₹5200 का अधिक भुगतानः—

परीक्षा निधि से निम्न विवरणानुसार 16 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिकायें मै0 वैटस पेपर इन्डस्ट्री नेर चौंक जिला मण्डी से क्रय की गई थीः—

क्र0सं0	वा0सं0	दि0/माह	बिल सं0	दिनांक	उत्तर पुस्तिकाओं की मात्रा	दर	राशि	वैट	कुल राशि
1	2/14	9/14	8501	2.9.14	20000	2.60 प्रति	52000	2600	54600
2	3/15	4/15	8778	17.11.14	20000	2.60 प्रति	52000	2600	54600
							104000	5200	109200

उपरोक्त प्रकरण में फर्म से प्राप्त निविदा में आपूर्ति दर में वैट दर भी सम्मिलित थी। तथा अलग से वैट भुगतान की कोई शर्त नहीं थी तथा उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु सम्बन्धित फर्म को दिये गये आपूर्ति आदेश संख्या ई0डी0एन0—जी पी0 जी0 सी बी—एच ऐग्जाम/2014—15—1389 दिनांक 21.8.2014 व संख्या ई0डी0एन0—जी0पी0जी0सी0—एच ऐग्जाम—2014—274 दिनांक 2.11.2014 के द्वारा भी वैट के अलग से भुगतान का कोई उल्लेख

नहीं था लेकिन फर्म द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित बिल 5 प्रतिशत वैट सहित प्रस्तुत किया जिसका महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित फर्म को भुगतान कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप मै0 वैटस पेपर इन्डस्ट्री नेर चौक जिला मण्डी को ₹5200 का अधिक भुगतान किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान ₹5200 की उचित स्त्रोत से वसूली करके राशि परीक्षा निधि में जमा की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः—

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय में स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित था। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापन करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान का नियमित रूप से प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

21 लघु आपति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई।

22 निष्कर्षः— लेखों में सुधार की आवश्यकता है। महाविद्यालय द्वारा वर्षों से लम्बित अंकेक्षण पैरों पर उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः महाविद्यालय द्वारा छात्र निधि लेखों से सम्बन्धित लेखों के उचित रख—रखाव के साथ—साथ लम्बित अंकेक्षण पैरों पर उचित कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए।

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याःफिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)xi(xii)3/78—खण्ड—6—1749—1750 दिनांकः 23.03. 2017 शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह क भीतर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

2 निदेशक, शिक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171001

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/83

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 5(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(3)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(4)(ए)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(4)(बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(4)(सी)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(4)(डी)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(5)(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(5)(2)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(5)(3)	अनिर्णीत
12	पैरा 5(4) से (7)	अनिर्णीत
13	पैरा 5(8)(1) से (11)	अनिर्णीत
14	पैरा 5(8)(xii)	अनिर्णीत
15	पैरा 5(8)(xiii)	अनिर्णीत
16	पैरा 5(8)(xiv)	अनिर्णीत
17	पैरा 5(8)(xv)	अनिर्णीत
18	पैरा 5(8)(31) 2 से 4	अनिर्णीत
19	पैरा 5(8)(32)	अनिर्णीत
20	पैरा 5(8)(42) से (50)	अनिर्णीत
21	पैरा 5(8)(51) से (85) (1) से (3)	अनिर्णीत
22	पैरा 5(8)(86)	अनिर्णीत
23	पैरा 5(8)(88)(1) से (3)	अनिर्णीत

24	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
25	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
26	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
27	पैरा 9(a)(b)(c)	अनिर्णीत
28	पैरा 10	अनिर्णीत
29	पैरा 11	अनिर्णीत
30	पैरा 12	अनिर्णीत
31	पैरा 13 से 16	अनिर्णीत
32	पैरा 14	अनिर्णीत
33	पैरा 15	अनिर्णीत
34	पैरा 16	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/84

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अंशतः निर्णीत (कार्यवाही शेष है)
3	पैरा 9(1) से 9(4)	अनिर्णीत
4	पैरा 15(1) से (4)	अनिर्णीत
5	पैरा 16	अनिर्णीत
6	पैरा 17(1) से (3)	अनिर्णीत
7	पैरा 18(1) से (3)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(डी)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(डी)(i)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(डी)(iv)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(डी)(vi)	अनिर्णीत
7	पैरा 6(डी)(ix)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(डी)(x)	अनिर्णीत
9	पैरा 8	अनिर्णीत
10	पैरा 9	अनिर्णीत
11	पैरा 10	अनिर्णीत

12	पैरा 11	अनिर्णीत
13	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
14	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत
15	पैरा 14	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/95

1	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 6	अनिर्णीत
5	पैरा 7	अनिर्णीत
6	पैरा 8	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10	अनिर्णीत
9	पैरा 12	अनिर्णीत
10	पैरा 13(क) से (ग)	अनिर्णीत
11	पैरा 14	अनिर्णीत
12	पैरा 15	अनिर्णीत
13	पैरा 16	अनिर्णीत
14	पैरा 17(क) (1) से (5)	अनिर्णीत
15	पैरा 17(ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ण), (ट), (ठ), (ड), (ढ), (ञ), (प), (व), (भ) (1) (2), (य), (र), (ल), (व), (ष), (स), (त्र), (ज्ञ)	अनिर्णीत
16	पैरा 18	अनिर्णीत
17	पैरा 19	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/99

1	पैरा 4(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(ख) (1) से (6)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(1) से (3)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(क) से (ग)	अनिर्णीत

5	पैरा 7(क)(2), 7(ख) से (ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(क)(1) से (2)	अनिर्णीत
7	पैरा 8(ख)(1) से (9)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(1) से (3)	अनिर्णीत
9	पैरा 10	अनिर्णीत
10	पैरा 11(क)(1) से (3)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(ख)(1) से (3)	अनिर्णीत
12	पैरा 12(1) से (10)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/01

1	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ख)(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(ख)(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(ग)(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(च)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(छ)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(ज)(1) से (4)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(झ)(1) से (4)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(ण)	अनिर्णीत
12	पैरा 6	अनिर्णीत
13	पैरा 7	अनिर्णीत
14	पैरा 9(1) से (3)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/01 से 3/02

1	पैरा 5(ख)(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत

5	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा–8 (क) से (घ)	अनिर्णीत	

नोटः– उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रतिलिपि महाविद्यालय में उपलब्ध न होने के कारण इस पर कोई कार्रवाई सम्भव नहीं हो सकी।

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/03 से 3/06

1	पैरा 5(क)(10)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(क)(11)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(क)(15)	अनिर्णीत	
4	पैरा 5(क)(16)	अनिर्णीत	
5	पैरा 9(3)	अनिर्णीत	
6	पैरा 9(6)	अनिर्णीत	
7	पैरा 10(2)	अनिर्णीत	
8	पैरा 10(ख)(ग)	अनिर्णीत	
9	पैरा 11(1) से (7)	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/06 से 3/08

1	पैरा 7(8)	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/08 से 3/10

1	पैरा 5 (2) (3) (4)	अनिर्णीत	
2	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत	
3	पैरा 11	निर्णीत	(विश्वविद्यालय निधि में ₹30 रसीद संख्या 44 दिनांक 27.12.16 द्वारा जमा कर दिये गये है)
4	पैरा 12	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
5	पैरा 14 (ग)	अनिर्णीत	
6	पैरा 15	अनिर्णीत	
7	पैरा 16 (1)	अनिर्णीत	
8	पैरा 16 (2)	अनिर्णीत	

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/14

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹28000 जमा कर

			दिये गये है)
2	पैरा 4	समाप्त	सूचनार्थ
3	पैरा 5 (क)	समाप्त	सूचनार्थ
4	पैरा 5 (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6	अनिर्णीत	
6	पैरा 7	अनिर्णीत	
7	पैरा 8	अनिर्णीत	
8	पैरा 9	समाप्त	(₹16281 के जमा का सत्यापन कर लिया गया)
9	पैरा 10	अनिर्णीत	
10	पैरा 11	अनिर्णीत	
11	पैरा 12	समाप्त	(अनुपालना की समीक्षा /स्पष्टीकरण के आधार पर)
12	पैरा 13	समाप्त	(₹6930 की वसूली वाउचर संख्या 102/2016 दिनांक 7.12.2016 रोकड़ बही पेज संख्या 181 पर दी गई है)
13	पैरा 14	समाप्त	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
14	पैरा 15	समाप्त	(₹1144 रसीद संख्या 5804 दिनांक 20.6.14 द्वारा जमा कर दिये गये है)
15	पैरा 16	आंशिक निर्णीत	(श्री अशोक गौतम के वाउचर संख्या 212 माह 2/2013 द्वारा दिया गया अग्रिम ₹2000 समायोजन हेतु शेष है)
16	पैरा 17	समाप्त	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
17	पैरा 18	समाप्त	(₹7609 दिनांक 3.7.2014 को जमा कर दिये गये है)

अनिर्णीत पैरों का सार

अवधि 3/14 तक अनिर्णीत पैरों की सं0	133
वर्तमान अवधि के दौरान लगाए गए पैरों की सं0	(+) 17
वर्तमान अवधि में निपटाए गए पैरों की सं0	(–) 12
31.3.16 तक अन्तशेष	138